फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री लादूराम बनाम श्री जगदीश वगैरह

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act पत्रावली संख्या : 15/25 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनायें जो जारी की गई ।
	दिनांक : 05.06.2025 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री भेरूलाल जाट द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में आगामी आदेश तक विपक्षी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 681 पर दर्ज आराजी नम्बर 1195 रकबा 0.1942 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं करें। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1, 2 में वर्णित प्रावधानों की पालना की जावें।** विपक्षीगण को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 25.06.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली 25/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 17/7/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:27 IST
Reason: Self Attested

17/7/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. उभयपक्ष उप.। अधि. विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र O 26 R 9 जा. दी. पेश किया। प्र.पा. रहे। नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र O 26 R 9 जा. दी. दिनांक 25/9/25 को पेश हो।

२५/९/२५

पत्रावली पेश हुई। [illegible] पक्षकारान उप.। उपस्थित अधि[illegible] न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर[illegible] [illegible]णा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मी[illegible] [illegible]धारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम [illegible] 10/11/२५ को पेश हो।

10/11/25

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. जवाब प्रा. पत्र O 26 R 9 जा. दी. के लिये मौका चाहते है। अतः एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 5/1/26 को पेश हो।

(SDO) मावली

०५/०१/२६

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. जवाब प्रा. पत्र O २६ R 9 जा. दी. के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. २३/३/२६ को पेश हो।

(SDO) मावली

23/3/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को बार-बार आवाज [illegible] स्वयं प्रार्थी [illegible] अनुपस्थित है। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता [illegible] अनुपस्थित हैं। अत: अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित [illegible] हाजरी अदम रहने पर प्रार्थी का [illegible] पत्रावली पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली जिला-उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली